राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 965/2023

अमित यादव —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय, नसीराबाद, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.02.2023
आदेश की दिनांक : 22.03.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री कुनाल मीना, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सराधना, अजमेर में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.08.2021 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सीएचसी पुष्कर अजमेर से उप जिला चिकित्सालय, नसीराबाद अजमेर किया गया। जहां अपीलार्थी ने कार्यग्रहण के दौरान एनपीए के साथ—साथ एचआरए के लिए अनुरोध वाले कॉलम में हाँ अंकित किया। अपीलार्थी ने दिनांक 12.11.2021 (अनुलग्नक—2) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या—3 के समक्ष अपीलार्थी के वेतन में एनपीए एवं एचआरए शामिल नहीं किए जाने पर आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु प्रत्यर्थी संख्या—3 द्वारा आवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी ने पुनः दिनांक 01.12.2021 (अनुलग्नक—3) द्वारा संयुक्त निदेशक, अजमेर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी संख्या—3 के पत्र दिनांक 03.12.2021 (अनुलग्नक—4) के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया कि अपीलार्थी ने वर्ष 2021 की शुरूआत में एनपीए के लिए आवेदन नहीं किया था इसलिए अपीलार्थी को एनपीए प्रदान नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी संख्या—3 ने आदेश दिनांक 01.01.2022 (अनुलग्नक—5) द्वारा एनपीए को मंजूरी देने वाले डॉक्टरों की सूची जारी जारी की और निजी प्रैक्टिस न करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का

अनुरोध किया और अपीलार्थी ने प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया कि दिसम्बर, 2021 के महीने में दिनांक 07.01.2022 (अनुलग्नक–6) को कोई निजी प्रैक्टिस नहीं की गई थी। प्रत्यर्थी संख्या–3 द्वारा अपीलार्थी की 5 माह की एनपीए राशि का भुगतान नहीं किया गया (अनुलग्नक–8)। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या–3 के समक्ष दिनांक 03.02.2022 (अनुलग्नक–9) द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें एनपीए का भुगतान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्यर्थी संख्या–3 ने आवेदन का जवाब दिनांक 05.02.2022 (अनुलग्नक–10) द्वारा भेजा और अपीलार्थी को धमकी दी। प्रत्यर्थी संख्या–3 ने केवल अपीलार्थी को परेशान करने के लिए अवैध रूप से मई 2022 के महीने में 02 दिन का वेतन अपीलार्थी के वेतन से काट लिया। अपीलार्थी ने दिनांक 03.06.2022 (अनुलग्नक–11) द्वारा आवेदन दायर कर 02 दिनों के वेतन की कटौती के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया। अपीलार्थी ने स्थानान्तरण की स्थिति में एनपीए नियमों के बारे में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और वित्त विभाग ने अपने स्पष्टीकरण दिनांक 04.10.2022 (अनुलग्नक–12) द्वारा अपीलार्थी के इस मुद्दे को स्पष्ट किया है। अपीलार्थी ने स्पष्टीकरण दिनांक 04.10.2022 के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या–3 के समक्ष दिनांक 14.10.2022 (अनुलग्नक–13) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के सितम्बर 2021 से जनवरी 2022 तक के लिए एनपीए की अवैध रूप से की गई कटौती की राशि का भुगतान एवं मई, 2022 में काटे गये 02 दिन की राशि का भुगतान किया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित

कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य